[28/7/2025]

प्रश्न सं. [क्र. 102]

परिशिष्ट - 1

नेशनल मिशन ऑन इडिवल ऑयल-आयलपाम योजनांतर्गत कृषकों को दिये जाने वाली अनुदान सहायता

क्रं	घटक	अनुदान दर
1	प्लांटिग मटेरियल (पौध रोपण सामग्री)	प्रथम वर्ष प्लांटिग मटेरियल (पौध रोपण सामग्री) हेतु राशि रू. 20000/- प्रति हेक्टेयर (देशी) एवं राशि रू. 29000/- (आयातित) किस्मों हेतु परिवहन व्यय सहित दिया जावेगा।
2	गेस्टेशन समय तक प्रबंधन (4 वर्ष) एवं इन्टर क्रॉपिंग हेतु	4 वर्ष के गेस्टेशन अवधि हेतु कृषकों को राशि रू. 42000/- प्रति हेक्टेयर इन्टर क्रॉपिंग एवं प्रबंधन हेतु प्रदाय किया जावेगा।
3	बीज उद्यान की स्थापना	बीज उद्यान हेतु प्रतिवर्ष राशि रू. 10.00 लाख पौध तैयार करने हेतु कम से कम 15 हेक्टेयर में बीज उद्यान की स्थापना हेतु अद्योसंरचना के लिए निम्नानुसार अनुदान कृषक उत्पादक संगठन/पंजीकृत संस्थाए/तेल प्रोसेसर/आईसीएआर/गैर सरकारी संगठन को प्रदाय किया जावेगा। आयलपाम बीज उद्यान की स्थापना हेतु राशि रू. 40.00 लाख एकमुस्त राशि रू. प्रति बीज उद्यान हेतु तथा Revolving Fund राशि रू. 40.00 लाख प्रदाय किया जावेगा
4	टपक सिंचाई (ड्रीप सिंचाई)	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के मानक अनुसार प्रति हेक्टेयर अनुमानित अनुदान दर राशि रू. 63750 प्रदाय किया जावेगा।
5	बोरवेल/पम्प सेट/जल प्रबंधन संरचना/वर्मी कम्पोस्ट यूनिट	MIDH एवं PM-KUSUM के मार्गदर्शी निर्देश अनुसार 1. बोरवेल - राशि रू. 50000 प्रति इकाई 2. जल प्रबंधन संरचना - 75000 प्रति इकाई 3. वर्मी कम्पोस्ट - 15000 प्रति इकाई 4 पम्प सेट - PM-KUSUM के नार्म्स अनुसार
6	कटाई के उपकरण	अनुदान दर निम्नानुसार उपकरणों पर दी जावेगी- 1. कटर - राशि रू. 2500 प्रति इकाई 2. वायर मेश - राशि रू. 20000 प्रति इकाई 3. मोटर चलित - राशि रू. 15000 प्रति इकाई 4. सीढ़ी/पोल - राशि रू. 5000 प्रति इकाई 5. चैफ कटर - राशि रू. 50000 प्रति इकाई 6. ट्रेक्टर ट्रॉली - राशि रू. 200000 प्रति इकाई
7	कस्टम हायरिंग सेन्टर एवं कटाई समूह	स्वय सहायता समूह/कृषक उत्पादक संगठन/पंजीकृत संस्थाए/तेल प्रोसेसर द्वारा निर्मित समूह को एक बार सहयातित राशि रू. 25.00 लाख प्रति इकाई
8	कृषक प्रशिक्षण	कृषक प्रशिक्षण हेतु राशि रू. 30000 प्रति प्रशिक्षण (30 कृषकों हेतु 02 दिवसीय कृषक प्रशिक्षण) आयोजन हेतु प्रदाय किया जावेगा।
9	पुराने आयलपाम उद्यान के रिप्लांटिग हेतु	25 से 30 वर्ष के उपरांत एक बार कुल लागत का 50 प्रतिशत राशि रू. 250 प्रति पौधे की दर से उपलब्ध कराई जावेगी।
10	राज्य के बाहर अध्ययन भ्रमण (फ्लैक्सी फंड)	कृषकों का राज्य के बाहर अध्ययन भ्रमण हेतु आत्मा नार्म्स अनुसार राशि रू. 1500 प्रति कृषक प्रति दिवस, अधिकतम सात दिवस हेतु प्रदाय किया जावेगा

Deputy Director
Directorat
Farmer Welfare & Agriculture Development
M.P. Bhopal

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

Scanned with CamScanner